



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19039

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44187 वर्ष 2024

रवि @ वीरू पटेल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अथर्व दीक्षित, प्रणव तिवारी, रोशनी मुराद, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अमरनाथ त्रिपाठी, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।
2. श्री मनीष तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अथर्व दीक्षित, आवेदक के अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के अपराध संख्या-0039 में धारा 147, 148, 149, 302 भ०द०वि० और धारा 3/7/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-मदुवाडीह, ज़िला: वाराणसी के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। शव परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि नहीं करती है। आवेदक 11.04.2024 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 02.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, आठ गवाहों से पूछताछ की गई है और अ०सा०-8 की जिरह चल रही है।

7. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 INSC 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है क्योंकि आठ गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

28 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)